COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

-1-

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(1) 284

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक R. 1525-II/2014 जिला छिंदवाड़ा

पुनरीक्षणकर्ता:- मांगीलाल साहू

विरूद्ध

अनावेदकः- जिलेराम साहू

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार ...... 17 APR 2014 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

(358)

पुनरीक्षकण अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करता है:-

यह कि, पुनरीक्षकर्ता/उत्तरार्थी आदेश दिनांकं 24.06.2013 राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 84/अ-27/2011-12 से व्यथित होकर उक्त राजस्व पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है। उक्त आदेश मे न्यायालय द्वारा अनावेदक/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिया गया है।

प्रकरण के तथ्य एवं आधार

2. यह कि उत्तरार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2012 को राजस्व अपील न्यायालय तहसीलदार अमरवाडा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/अ-27/2009-10 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत की थी।

SURENDRA KUMAR KHARE OATH COMMISSIONER 17 APR 2014

3. यह कि, उक्त अपील न्यायालय तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 07.05.2011 के बंटबारे के आदेश के विरूद्ध की गई थी। इस तरह उक्त अपील मे लगभग एक वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई थी।

R 1525-11/14 (चि-3915)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
26.10.16	आवेदक विरुद्ध 17 पेशियों से निरंतर अनु. रह रहा है जिससे प्रकट होता है कि उसे प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं है अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है उक्त वाद [illegible] प्रकरण दाखिल हो। [signature] (हस्ता.)	

[initials]